

19/3/2016 होंने पक्षों के कार्यवाही उपलक्ष्य
एक कुत्ता गड्डी-बहाल पर गगन
तथा पत्रावली का राष्ट्रीयता-पूर्णक अंगकोर
किता / जिसके पास कि मूलवाट खातेदमी

आधीकारों की दखलाना का जवाब नहीं है।
 जो मूलवाद में काफ़ी लंबे के आधार
 पर तब होगा, कि वादीनीगण राहत प्राप्त
 करने की इच्छा है अथवा नहीं। लेकिन
 इस्तगत मुकदमा में इस्तगत आदेशों पर
 नहीं किया जा सकता है। ठीकी इच्छा
 में मुकदमा का अन्तही कारवाही नहीं
 होने के कारण स्तारिफ़ किया जाता है।
 प्रावणी केरुफ़ मुकदमा केरुफ़ कारवाही
 केरुफ़ हैं।

सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) बालोतरा

13/11/2018
 10/11/2018

13/11/2018